



कार्यालय पुलिस उपायुक्त, काशी ज़ोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 14.05.2025

विषय:- दुष्कर्म से संबंधित 01 अभियुक्त थाना भेलूपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी महोदय द्वारा अपराधों की रोकथाम के मद्देनजर चोरी/लूट की घटनाओं के सफल अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के निर्देशन में, अपर पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर के नेतृत्व में थाना भेलूपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0- 0160/2025 धारा 65(1)/351(2) बीएनएस व धारा 3/4(2) पाक्सो एक्ट व धारा 67 आईटी में थाना भेलूपुर से सम्बन्धित अभियुक्त अनुराग मिश्रा पुत्र गोपाल मिश्रा निवासी मोहरी बाग, खरीका, तेलीबाग, थाना पीजीआई जिला लखनऊ को दि0-13.05.2025 को अभियुक्त को उसके घर से गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- विपक्षी द्वारा आवेदिका/वादिनी मुकदमा के साथ दोस्ती करके जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाना, वादिनी का फोटो खींचकर उनके परिजन व स्कूल के टीचरों को भेजना तथा फोन व मैसेज करके जान माल की धमकी देने आदि कतिपय आरोपों के संबंध में थाना भेलूपुर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-अनुराग मिश्रा पुत्र गोपाल मिश्रा निवासी मोहरी बाग, खरीका, तेलीबाग, थाना पीजीआई जिला लखनऊ।

अपराधिक इतिहास- मु0अ0सं0- 0160/2025 धारा 65(1)/351(2) बीएनएस व धारा 3/4(2) पाक्सो एक्ट व धारा 67 आईटी थाना भेलूपुर वाराणसी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. श्री गोपाल जी कुशवाहा प्रभारी निरीक्षक थाना भेलूपुर कमि0 वाराणसी।
2. उ0नि0 श्री आलोक सिंह यादव थाना भेलूपुर कमि0 वाराणसी।
3. का0 सुमित साही थाना भेलूपुर कमि0 वाराणसी।
4. का0हरिशंकर यादव थाना भेलूपुर कमि0 वाराणसी।
5. का0विवेकानन्द शर्मा थाना भेलूपुर कमि0 वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन
कमिश्नरेट- वाराणसी